न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 253/1/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 22.10.2013 पारित व्दारा न्यायालय कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा – प्रकरण कमांक 28 बी–121/2010–11

1– प्रमोदकुमार पुत्र सूरजप्रसाद मिश्रा
निवासी चौरई तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा
2– रामसिंह पुत्र गनेशलाल मंगरोले
निवासी शेरपापड़ा तहसील विछुआ जिला छिन्दवाड़ा
3– हुकुमसिंह पुत्र गनेशलाल मंगरोले निवासी
शेरपापड़ा तहसील विछुआ जिला छिन्दवाड़ा ——— आवेदकगण

विरूद्व

बुद्दु पुत्र सालिकराम पवार निवासी विछुआ
तहसील विछुआ जिला छिन्दवाड़ा ———अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0डी0दीक्षित)

आ दे श

(आज दिनांक 6 – 7–2015 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर छिन्दवाड़ा व्दारा प्र0क0 28 बी–121/2010–11 में पारित आदेश दि0 22.10.2013 के विरूद्व म0प्र0 वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980 सहपठित 1981 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रामकिशन उर्फ रामकृष्ण मिश्रा पुत्र रघुनन्दन प्रसाद मिश्रा निवासी चौरई ने अनुविभागीय अधिकारी, विछुआ को म0प्र0 वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980 सहपठित 1981 (आगे जिसे अधिनियम सम्बोधित किया गया है) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि चौरई स्थित

भूमि सर्वे कमांक 835/1 के रकबा 0.012 है. तथा सर्वे कमांक 836/1 के रकबा 0.004 है. प दिनांक 23 जून 1979 के पूर्व से वासस्थान के रूप में कब्जा चला आ रहा है इसलिये उव रकबे को व्यस्थापित किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी विछुआ ने प्रकरण कमांक 77 121/2009–10 पंजीबद्व किया तथा तहसीलदार विछुआ को जांच प्रतिवेदन भेजा। तहसीलद विछुआ ने जांच उपरांत प्रतिवेदन दिनांक 10.3.2010 प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिका विछुआ ने आदेश दिनांक 31.3.2010 पारित किया तथा भूमि सर्वे कमांक 835/1 कुल रकबा 268 हैक्टर में से कब्जे वाले अंश भाग 0.026 हैक्टर का व्यवस्थापन आवेदक के हक में क दिया।

अनुविभागीय अधिकारी विछुआ के आदेश दिनांक 31.3.2010 के विरूद्व अनावेदक कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने अपील प्रकरण कमां 28 बी 121/10–11 पंजीबद्व कर अंतरिम आदेश दिनांक 2–8–2010 से प्रकरण सुनवाई हे अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा को अंतरित किया। अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने अंतरिम आदे दिनांक 26.8.10 से सुनवाई के अधिकार न होने से प्रकरण पुनः कलेक्टर छिन्दवाड़ा को अंतरि किया। कलेक्टर छिन्दवाड़ा के न्यायालय में सुनवाई के दौरान दिनांक 16.6.2012 क व्यवस्थापिती रामकिशन उर्फ रामकृष्ण मिश्रा की बेओलाद मृत्यु हो गई। आवेदक कमांक-- प्रमोदकुमार पुत्र सूरजप्रसाद मिश्रा ने मृतक प्रमोदकुमार पुत्र सूरजप्रसाद मिश्रा का भतीजा हो से वारिसान के आधार पर तहसील न्यायालय से प्रकरण कमांक 77 अ 6/11–12 में पारि आदेश दिनांक 8.8.12 से नामान्तरण करा लिया। नामांत्रण कराने के उपरांत आवेदक क–1 उक्तांकित भूमि आवेदक कमांक–2 एंव 3 को विकय कर दी। कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने हितब पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 22.10.2013 पारित किया तथा अनुविभागीय अधिकार विछुआ के आदेश दिनांक 31.3.2010 को निरस्त कर अपील स्वीकार की । इसी आदेश र परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिंदुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी सौंस के प्रकरण कमांक 77 बी 121/09–10 के अवलोकन पाया गया कि मृतक रामकिशन उप रामकृष्ण मिश्रा व्दारा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत नियत प्रारूप पर आवेदन देने के उपरांत प्रथम आर्डरशीट दिनांक 16–12–09 को लिखकर प्रकरण पंजीबद्व किया है एंव इस्तहार क प्रकाशन हेतु एंव आवेदक को सुनवाई की सूचना जारी करने हेतु पेशी 13–1–10 नियत की गइ है। पेशी 12–2–10 को आवेदक के उपस्थित होने पर प्रकरण जांच एंव प्रतिवेदन हेत् तहसीलदार विछुआ को भेजा गया है। तहसीलदार विछुआ ने हलका पटवारी से स्थल क नजरी नक्शा, पंचनामा सहित प्रतिवेदन मंगाया है तथा आवेदक की साक्ष्यांकित कर एंव पटवार से उक्तानुसार जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आगामी पेशी 10.3.10 प्रतिवेदन लिखने हेतु

नियत की। दिनांक 10.3.10 को तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो अनुविभागीय अधिकारी सोंसर के प्रकरण की आर्डरशीट पृष्ठ 4 एंव 5 पर संलग्न है। तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन पृष्ठ 5 के सवपैरा में अंकित है कि –

" उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आवेदक भूमिहीन व्यक्ति है जिसके व्दारा ग्राम विछुआ में सन 1982 में मकान का निर्माण कराया था तब से आज दिनांक तक आवेदक शांतिपूर्वक काविज है । इस्तहार प्रकाशन में भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः ग्राम विछुआ प0ह0नं0 4 रा0नि0मं0विछुआ तहसील विछुआ में स्थित भूमि ख0नं0 835/1 रकबा 0.268 है. भूमि में से 35X40 वर्गफुट पर पक्का मकान, 17 X40=680 वर्गफुट में वाउन्ड्री वाल एंव संडास वाथरूम बना हुआ है तथा 20 X40 वर्गफुट भूमि में प्रांगण बना हुआ है कुल रकबा 0.026 है. भूराजस्व 1.00 रूपये का वास स्थान दखलकार अधिनियम के तहसील प्रारूप ग में भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने वावत प्रकरण अ0वि0अ0 महो0 सोंसर की ओर संप्रेषित है। "

तहसीलदार के उपरोक्त जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर सन 1982 से पक्का मकान बनाकर बेपराव है। जांच में आवेदक भूमिहीन व्यक्ति होना बताया गया है। उसके व्दारा निर्धारित प्रपत्र पर भूखंड आवंटन का मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी सोंसर ने मौके की विधिवत् जांच कराते हुये , इस्तहार प्रकाशन पर आपत्तियॉ नहीं आने के कारण आवेदक को भूखंड आवंटन की पात्रता होने के आधार पर म0प्र0 वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980 सहपठित 1981 के अंतर्गत व्यवस्थापन किया है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सोंसर के प्रकरण कमांक 77 बी 121/09–10 में किसी प्रकार की प्रकियात्मक त्रृटि होना नहीं पाई गई है इसके बाबजूद कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने मृतक रामकिशन उर्फ रामकृष्ण मिश्रा व्दारा प्रस्तुत आवेदन में खामियॉ निकालते हुये अनुविभागीय अधिकारी सोंसर के आदेश दिनांक 31.3.2010 को निरस्त करने में भूल की है।

5/ कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश दिनांक 22.10.2013 के पद 16 (आर्डरशीट पृष्ठ 29) के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर व्दारा इस पद में निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक ने आवेदन में कब्जे की तारीख 15–1–82 लिखी है जबकि अधिनियम के प्रावधानानुसार कब्जा 23 जून 1980 को वासस्थान उस तारीख के पूर्व एक या अधिक वर्षो तक का होना चाहिये। अनुविभागीय अधिकारी सोंसर के प्रकरण में पृष्ठ–1 पर आवेदक मृतक रामकिशन उर्फ रामकृष्ण मिश्रा व्दारा प्रारूप 5 नियत प्रपत्र पर प्रस्तुत आवेदन संलग्न है जिसके पद 10(4) में अंकित है कि " उसका वास स्थान (गृह, झोंपड़ी) जिसके लिये उसने आवेदन किया है तारीख 23 जून 1979 के पूर्व बनाया गया था। इस संबंध में आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि

वादोक्त भूमि पर तारीख 23 जून 1979 के पूर्व से आवेदक ने झोंपड़ी एंव वाउन्ड्री वाल बनाक रहवास चालू कर दिया था किन्तु पक्का कमरा उसने 15–1–82 को बनाया है। **मामला झोंपड़ी बनाने अथवा पक्का कमरा बनाने का नहीं है अपितु अधिनियम में वर्णित है कि वासस्थान जो 23 जून 1980 को किसी भूमि व्यक्ति के दखल में है उक्त तारीख को ऐसे भूमिहीन व्यक्ति में, भूमिस्वामी अधिकारों में निहित हो गया समझा जायेगा वशर्ते वह वासस्थान उस तारीख के पूर्व एक या अधिक वर्षो तक उसके कब्जे में रहा है।** आवेदक ने वादाग्रस्त भूभाग पर दिनांक 23 जून 1979 के पूर्व से झोंपड़ी एंव वाउन्ड्री वाल बनाकर रहवास चालू कर देना आवेदन में बताया है। तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन में 1982 से मकान बनाने का तथ्य बताया हैं ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक का वादग्रस्त भूखंड पर दिनांक 23 जून 1979 के पूर्व से कब्जा नहीं है अपितु इस भूखंड के अंश भाग पर आवेदक व्दारा सन 1982 में पक्का निर्माण कार्य कर कब्जा निरन्तर रखना सिद्व है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सोंसर ने आदेश दिनांक 31.3.2010 से आवेदक की पात्रतानुसार भूखंड आवंटित किया है और वर्ष 1979 तथा पक्का नर्माण 1982 में होने के कारण वर्तमान स्थिति में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश दिनांक 22.10.13 से लगभग 31 वर्ष वाद आवेदकगण को वेदखकल कर पक्का निर्माण तोड़ा जाना उचित नहीं माना जावेगा, किंतु कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने आदेश दिनांक 22.10.13 पारित करते समय प्रकरण में आये तथ्यों पर गौर न करने की भूल की है, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया गया कि पटटाग्रहीता रामकिशन उर्फ रामकृष्ण मिश्रा की मृत्यु उपरांत उसके वारिस आवेदक कमांक–1 प्रमोदकुमार पुत्र सूरजप्रसाद मिश्रा का तहसील न्यायालय से प्रकरण कमांक 77 अ 6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 8.8.12 से नामान्तरण हुआ है। नामांत्रण कराने के उपरांत आवेदक क–1 ने उक्तांकित भूमि आवेदक कमांक–2 एंव 3 को विकय कर दी है अर्थात संपत्ति का अंतरण दो वार हो चुका है – व्दित्तीय अंतरण पंजीबद्व विकय पत्र के आधार पर हुआ है और जब तक व्यवहार न्यायालय से विकय पत्र शून्य घोषित नहीं कराया जाता , कय की गई भूमि पर केता के स्वत्व रहेंगे , किन्तु कलेक्टर व्दारा इन तथ्यों पर गौर न करने की भूल की गई हैं।

7/ वादोक्त भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय में वाद चलने वावत् तर्क प्रस्तुत करते हुये बताया गया कि वादोक्त भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने के कारण राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही व्यवहार न्यायालय के अंतिम आदेश तक स्थगित रखी जावे। विचाराधीन मामला म0प्र0 वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980 सहपठित 1981 के अंतर्गत है जिसकी धारा 9 के अवलोकन उपरांत राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही रोका जाना संभव नहीं है। वैसे भी मान0 व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है और मान0 व्यवहार न्यायालयों से जो भी अंतिम आदेश

होंगे, राजस्व न्यायालय पालन हेतु वाध्य है जिसके कारण प्रस्तुत इन तर्कों पर गोर करन आवश्यक नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर छिन्दवाड़ व्दारा प्रकरण कमांक 28 बी 121/ में पारित आदेश दिनांक 22.10.2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी सौसर व्दारा प्रकरण कमांक 77 बी 121/ 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 31.3.2010 स्थिर रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर